उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 175-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दि० 19 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के वेतनमानों का दि0 01.01.2006 से पुनरीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 174-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे0प्र0/08 दि0 16.02.2009 के अनुक्रम में तथा उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति से प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप एतद्द्वारा अधोलिखित विवरण के दि0 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन बैण्ड, उसके सादृश्य ग्रेड वेतन एवं प्रवृष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन अनुमन्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	01.01.96 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड		सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900
2.	3200-85-4900	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2000
3.	3500-85-5455	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2200
4.	4200-100-6400 (यांत्रिक संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 4300/-)	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2600
5.	4500-125-7500 (यांत्रिक संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 4625/-)	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	3000
6.	5300-150-8600(अवर अभियताओं को छोड़कर)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
7.	5300-150-5600-175-9100 (अवर अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन - 5600 /-)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
8.	5850-175-9000-200-9400	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
9.	6000-200-10400	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
10.	6500-200-10500-250-11000	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4400
11.	8550-275-13500 (अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 9375/-)	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400
12.	10650-325-15200 (अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 11300/-)	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	6600
13.	14300-400-18300 (अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 15100/-)	वेतन बैण्ड-4	37400-67000	8700
14.	16400-450-20000 (अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 17300/-)	वेतन बैण्ड-4	37400-67000	8900
15.	18400-500-22400 (अभियन्ता संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 18900/-)	वेतन बैण्ड-4	37400-67000	10000
16.	21350-525-23975	वेतन बैण्ड-4	37400-67000	11000

टिप्पणी : 8550–13500 के वेतनमान वाले सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3 (15600–39100) तथा ग्रेड वेतन रू0 5400/– अनुमन्य कराया जाये। परन्तु ऐसे पद जिनके पदधारकों को समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत तृतीय स्तरोन्नयन समयबद्ध वेतनमान के रूप में रूपये 8550–13500 का वैयक्तिक वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400/–) अनुमन्य हो और इन पद्रधारकों के लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, तो ऐसे मामलों में 8550–13500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400/– के साथ वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) में रखा जाएगा।

अनुसूची : "क"

दिनांक 01.01.06 को तथा अग्रेतर पे–बैण्ड में प्रवृष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन संरचना

वेतन बैण्ड – 1 (5200–20200)

ग्रेड–वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
1900	5830	7730
2000	6460	8460
2200	6510	8710
2600	8000	10600
3000	8610	11610

वेतन बैण्ड – 2 (9300–34800)

ग्रेड–वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
4200	9860	14060
4400	12090	16490

वेतन बैण्ड – 3 (15600–39100)

ग्रेड–वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
5400	15600	21000
6600	18750	25350

वेतन बैण्ड – 4 (37400–67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
8700	37400	46100
8900	40200	49100
10000	43000	53000
11000	47100	58100

प्रत्येक कार्मिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 को कारपोरेशन की पूर्णकालिक सेवा मे था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा,

परन्तु

कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान मे उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान मे वेतन आहरण करना, छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान मे वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों मे जहॉ कारपोरेशन के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड आदि के कारण उच्चतर वेतनमान मे रखा गया है वहॉ ऐसी पदोन्नति, समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण–1

वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के मामले में होगी।

स्पष्टीकरण–2

उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह कारपोरेशन की सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित हो कर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–3

जहां कहीं कोई कर्मचारी मूल नियम–22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किए जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण–4

ऐसे संवर्ग/पदों , जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी 2006, को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

2. विकल्प का चयन :–

(1) उपर्युक्त प्रस्तर– 1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को विकल्प का चयन लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप पर *(संलग्नक –1)* देना होगा यह विकल्प सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने वाले अधिकारी जो भी सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखता हो, को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिए

परन्तु

(क) उस मामले में जब सम्बन्धित कर्मचारी इस आदेश के जारी होने की तिथि को अवकाश पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सकिय सेवा में देश से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प सम्बन्धित अधिकारी के पास सम्बन्धित कर्मचारी के भारत में आने और यहां पदभार सम्भालने की तिथि के तीन माह के अन्दर लिखित रूप से पहुँच जाना चाहिए।

तथा

(ख) जहां कोई सरकारी सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निलम्बित हो तो ऐसे में वह काम पर वापस आने की तिथि से तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है यदि उसके कार्य पर वापस आने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद की हो।

(2) यदि किसी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप प्रस्तर–2 (1) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

(3) एक बार दिया गया विकल्प ही अन्तिम होगा।

(4) जिन व्यक्तियों की सेवा दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई हो और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए गए हों सेवात्याग (त्याग–पत्र), अनुशासनहीनता का कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त किए गए हों, को भी विकल्प प्रस्तुत करने की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) जो व्यक्ति दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद दिवंगत हो गए हों और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उनके सम्बन्ध में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों को लाभप्रद हो नई वेतन संरचना का चयन कर लिया है। यदि पुनरीक्षित वेतन उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

(6) ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य ऐसे अवकाश पर थे जिसके लिए अवकाश वेतन अनुमन्य था, को भी इस नियम के अन्तर्गत विकल्प की सुविधा प्राप्त होगी।

3. वर्तमान परिलब्धियों की गणना – किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियाँ" निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जाएंगी :–

(1) दिनांक 01 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नति/उच्च वेतन/सेलेक्शन ग्रेड जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी 2006 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर।

साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही विस्तारित वेतन वृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर–3 (1) के अधीन मूल वेतन और साधारण वेतन की दशा में विस्तारित वेतन वृद्धि, यदि कोई हो के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला महँगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त मूल वेतन पर देय महँगाई वेतन, यदि कोई हो तथा

(4) उपर्युक्त मूल वेतन तथा देय महँगाई वेतन, यदि कोई हो, के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला महँगाई भत्ता।

4. किसी भी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियों की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जाएंगी :–

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) ऐसा वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर–3(1) के अधीन नहीं आता है।

(4) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात ऐसे मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(5) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन, विशेष भत्ता अथवा भत्ता।

5. पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

(1) कोई कर्मचारी जिसने दिनांक 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प चुना है अथवा उपर्युक्त प्रस्तर–2(2) के अन्तर्गत माने गए विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद (जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा धारणाधिकार होता यदि धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता) और स्थानापन्न पद पर अलग–अलग (यदि कारपोरेशन द्वारा कोई अन्य आदेश न दिए गए हों) निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया जाएगा :–

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में :–

(I) वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन, दिनांक 1 जनवरी 2006 को अनुमन्य वर्तमान वेतनमान मे प्राप्त मूल वेतन की 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले दस रूपये में पूर्णांकित करके, निर्धारित किया जायेगा।

(II) यदि संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

➢ **इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि :-**

जहॉ वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अधिक क्रमिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिए संशोधित वेतनबैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतनबैण्ड में वेतन पर आंकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतनवृद्धि देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

वेतन बैण्ड–4 में वेतनमान के मामले में बंचिंग के कारण वेतन वृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों के सभी स्तरों को ध्यान में रख कर दिया जायेगा। उक्त वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व–संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो स्तरों के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

उपर्युक्त ढ़ंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च स्तर पर रहे कर्मचारी के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त दूसरे कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

(III) वेतन बैण्ड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैण्ड में वेतन के साथ वर्तमान वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिये किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रस्तर–5(1)(क) के उक्त प्रस्तरों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन यथा परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन, सचिवालय विशेष वेतन/भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि प्राप्त कर रहे है, तथा जिनके मामलें में इनके स्थान पर सादृश्य या उच्च दरों पर विशेष वेतन/भत्ता के साथ पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू कर दी गई है, के मामले में वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उपर्युक्त प्रस्तर–5(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगा। ऐसे मामलों में नई दरों पर विशेष वेतन/भत्ते सम्बन्धित आदेशों में निर्धारित तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।

टिप्पणी–1

वेतनमानों के संविलियन के मामले में, संशोधित वेतन बैण्डों में वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वर्तमान मूल वेतन के 186 प्रतिशत से प्राप्त धनराशि को अगले दस रूपये में पूर्णांकित करते हुए निर्धारित किया जाएगा। संविलियन किए गए वेतनमानों का सादृश्य ग्रेड वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा।

टिप्पणी–2

यदि कोई कर्मचारी दिनांक 01 जनवरी 2006 को अवकाश पर हो और उसे अवकाश वेतन देय हो तो उसे दिनांक 01 जनवरी 2006 से अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी 01 जनवरी 2006 को अध्ययन अवकाश पर था तो उसे 01 जनवरी 2006 अथवा विकल्प की तिथि से इन नियमों के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी–3

निलम्बित कर्मचारी वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

टिप्पणी–4

जहां कोई कर्मचारी किसी स्थाई पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो एवं दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक वेतनमान में ही विलय कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में वेतन का निर्धारण इस उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन स्थानापन्न पद के सन्दर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका मौलिक वेतन माना जाएगा।

इस टिप्पणी के प्राविधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो स्थानापन्न रूप से वर्तमान में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त रहें हैं और उन वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड/ग्रेड–वेतन/वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

टिप्पणी–5

यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धियां " संशोधित परिलब्धियों " से अधिक हो तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगा जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित कर लिया जाएगा।

टिप्पणी–6

जहां उपर्युक्त प्रस्तर–5(1)(क)(I) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में 01 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले एक ही संवर्ग के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में उसका वेतन ऐसे स्तर पर निर्धारित होता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैण्ड में उसी स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा जिस स्तर पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

टिप्पणी–7

जहां कोई कर्मचारी 01 जनवरी, 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और जिसके जुड़ने पर वर्तमान परिलब्धियॉ संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो अन्तर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

टिप्पणी–8

उन कर्मचारियों के मामलें में जो कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व किसी सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे है, उनका यह वैयक्तिक वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा तथा वे 01 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना मे उस वैयक्तिक वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा वैयक्तिक वेतन, निर्धारण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतनवृद्वि की उपयुक्त दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

स्पष्टीकरण– इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की ''उपयुक्त दर'' से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित होगा।

टिप्पणी–9

ऐसे मामलों में जहॉ किसी वरिष्ठ कर्मचारी की 01 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैण्ड मे वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्वि कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात :–

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कर्मचारी को एक ही संवर्ग का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए है वह संवर्ग में समान पद होने चाहिए।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिए।

(ग) वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हो।

(घ) उपर्युक्त विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम–22 के प्राविधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी वर्तमान वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्वि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस टिप्पणी के प्राविधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

5. (2) इस प्रकार के प्राविधानों के अधीन रहते हुए यदि स्थानापन्न पद पर निर्धारित किया गया वेतन मूल पद पर निर्धारित किये गये वेतन से कम है तो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन को मूल पद पर निर्धारित वेतन से अगले स्तर पर निर्धारत किया जायेगा।

5. (3) इस आदेश में अनुसूची – 'क' में सम्बन्धित वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारियों का वेतन 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

6. दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण

दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों का सम्बन्धित वेतन बैण्ड में इस आदेश में वेतनमानों की दर्शाई गई अनुसूची – 'क' में वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये सेवकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

यह दिनांक 01 जनवरी, 2006 और इस आदेश के जारी होने की तिथि के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा। ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान (अपुनरीक्षित) वेतनमानों में परिलब्धियां (अर्थात सेवा में आने की तिथि को लागू वर्तमान वेतनमान/वेतनमानों में मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हो तो उस अंतर को वेतन में होने वाली अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

7. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 03 प्रतिशत होगी, जिसे अगले 10 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि की राशि वेतन बैण्ड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी।

8. पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तिथि

(1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी 2007 तक होगी।

(2) उन व्यक्तियों के मामले में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो दिनांक 01, जनवरी 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान का अधिकतम वेतन पा रहे थे। उसके बाद उन पर इस प्रस्तर की शर्तें लागू होंगी।

(3) उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैण्ड के अधिकतम पर पहुंच जायेगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में डाल दिया जायेगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके पश्चात वह उच्चतर बैण्ड में तब तक क्रमागत बढ़ता रहेगा जब तक कि वेतन बैण्ड में उसका वेतन पी0बी0–4 के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता और उसके पश्चात उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(4) ऐसे मामलों में, जहां दो वर्तमान वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होते हुए भी मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैण्ड में वह वर्तमान उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा तो वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन बैण्ड में वेतन उस तिथि से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतन वृद्धि इस प्रस्तर के अनुसार प्राप्त करेगा।

9. 01 जनवरी 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

जहां कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा :–

वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि से लागू मूल वेतन, मंहगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमन्य मंहगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा। जहां कहीं कोई कर्मचारी विशेष वेतन ले रहा होगा तो, प्रस्तर–5 (1) (ख) एवं (ग) में यथा विहित प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जायेगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन ही गणना में लिया जायेगा किन्तु मंहगाई भत्ते का ऑकलन 01 जनवरी, 2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जायेगा।

10. ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 01, जनवरी 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत रहा हो परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद पर न रहा हो, और उस पद पर बाद की तिथि में नियुक्त किया गया हो, तो बाद में नियुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन मूल नियम 22 के प्राविधानों का लाभ देते हुए इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि जैसे वह दिनांक 01 जनवरी, 2006 को उस पद पर था और उसने उस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया था।

11. 01. जनवरी 2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन–निर्धारण

पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(1) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतन वृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतन वृद्धि की धनराशि वेतनबैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

12. कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा 9 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष के अन्तराल पर अनुमन्य रहेगी परन्तु तत्सम्बन्धी पे–बैण्ड/ग्रेड–पे की अनुमन्यता, एवं संगत वेतन निर्धारण उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य कराया जाएगा।

13. दिनांक 01 जनवरी 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, के उपरान्त समयबद्ध वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृति/देय कोई लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना मे देय नहीं रह जायेगा।

14. वेतन पुनरीक्षित संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन ऐसे पदधारकों को भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जो पावर कारपोरेशन द्वारा अपनाई गई समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवावधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा कोई अनुवर्ती तिथि जिससे संशोधित वेतन संरचंना को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

15. उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि की धनराशि मे (दिनांक 01 जनवरी 2006 से दिनांक 30 नवम्बर 2008 की अवधि मे) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से आगे की अवधि मे मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन भत्ते एवं सुविधायों को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को देय धनराशि ही रहेगी।

16. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुव्यवस्थित/सही वेतन निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रारूप ***(संलग्नक–2)*** के अनुसार वेतन निर्धारण का विवरण तैयार किया जाएगा। उक्त विवरण की एक प्रति सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी।

17. वर्तमान वेतनमानों के प्रत्येक स्तर के लिए वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत तालिकाएं ***(संलग्नक–3)*** पर दी गई हैं। इन तालिकाओं के आधार पर दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जाएगा।

18. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी से संलग्न प्रारूप ***(संलग्नक–4)*** के अनुसार अन्डर टेकिंग लेने के उपरान्त ही किया जाएगा।

19. वेतन निर्धारण एवं अवशेषों का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों/वेतन एवं लेखा से विधिक्षा के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

20. भुगतान एवं अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

दिनांक 01 जनवरी 2006 या 01 जनवरी, 2006 के बाद की तिथि जैसी भी स्थिति हो, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में दी जाने वाले धनराशि में उस धनराशि को घटाते हुए अवशेष निकाला जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी ने उस दिनांक को वर्तमान वेतनमान में वेतन, महँगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता के रूप में समय–समय पर आहरित किया हो। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः–

1- माह अप्रैल, 2009 से माह जुलाई, 2009 का अवशेष सम्बन्धित माह के वेतन बीजकों में जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 में समायोजन के माध्यम (जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 में पूर्व अभिदान को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित करते हुए) से आहरित कराया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में पुनरीक्षण के फलस्वरूप माह अप्रैल, 2009 से माह जुलाई, 2009 के वेतन की वृद्धि का नगद भुगतान एवं आहरण अनुमन्य नहीं कराया जाएगा अर्थात अपुनरीक्षित वेतन में पूर्व से देय नगद धनराशि यथावत् ही देय होगी। इस प्रकार माह अप्रैल, 2009 से माह जुलाई, 2009 का अवशेष वित्तीय वर्ष 2009–2010 में जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 में जमा किया जाएगा।

2- पुनरीक्षण के फलस्वरूप माह अगस्त, 2009 (भुगतान माह सितम्बर, 2009) से देय वेतन एवं भत्तों का आहरण एवं भुगतान नकद किया जाएगा।

3- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से मार्च, 2009 के अवशेष निम्नवत् जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 में हस्तान्तरित किया जाएगा।

वेतन माह	वित्तीय वर्ष
जनवरी, 2006 से मार्च, 2006	2010–11
अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007	2011–12
अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008	2012–13
अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009	2013–14

4- जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 में हस्तान्तरित की जाने वाली अवशेष की राशि पर आंकलित आयकर का भुगतान नियमानुसार अनुमन्य कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनका जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खाता न खुला हो, को देय अवशेष एन0एस0सी0 के रूप में दिया जायेगा।

5- (1) वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा। इसप्रकार आहरित धनराशि सम्बन्धित वर्ष के अक्टूबर माह के प्रथम दिवस को भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा मानी जायेगी।

(2) उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा की गयी धनराशि का प्रत्याहरण जमा करने के दिनांक से एक वर्ष तक नहीं किया जा सकेगा।

21. पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिये जाने वाले विकल्प का प्रारूप ***संलग्नक–1*** पर, तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण ***संलग्नक–5*** पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(हरिश्चन्द्र सिंह)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 175 (1)–काविनी एवं वे०प्र०–29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
9- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 – 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

20- कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(बालकृष्ण भट्ट)
अपर सचिव

संलग्नक-1

विकल्प का प्रारूप

* (1) मैं ....

दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

* (2) मैं ....

अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि ....।

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर .... न हो जाए।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ / छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान ....

हस्ताक्षर......................................
नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय का नाम...............................

दिनांक - ....
स्थान - ....

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

संलग्नक-2

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 175 काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दिनांक 19-02-2009 की व्यवस्थानुसार

वेतन निर्धारण का विवरण

1.	सरकारी सेवक का नाम	
2.	उस पद का पदनाम, जिस पर दि0 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वेतन निर्धारित होना है।	
3.	स्तर (मौलिक/स्थानापन्न)	
4.	पद का वर्तमान वेतनमान	
5.	दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वर्तमान परिलब्धियाँ **(क)** मूल वेतन (विस्तारित वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो) **(ख)** महँगाई वेतन **(ग)** महँगाई भत्ता, दिनांक 01.01.2006 को लागू दर (24 प्रतिशत) पर। {अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 536 (1982 = 100) के आधार पर} **(घ)** कुल वर्तमान परिलब्धियॉ (क+ख+ग)	
6	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन	
7	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन।	
8	सादृश्य ग्रेड वेतन।	
9	पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 175-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दि० 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर -5 की टिप्पणी-6 के संदर्भ कनिष्ठ के वेतन के समान बढ़ाया गया, वेतन यदि लागू हो। (कनिष्ठ का नाम तथा वेतन	

	स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय)				
10	मौलिक पद पर निर्धारित ऐसा वेतन जो स्थापन्न पद पर निर्धारित वेतन से अधिक हो गया हो (आदेश के प्रस्तर–5 (2) के संदर्भ में)				
11	वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो। (आदेश के प्रस्तर–5 की टिप्पणी –5 व 7 के संदर्भ में)				
12	वेतन निर्धारण के उपरान्त परिलब्धियाँ (क) पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन (ख) ग्रेड वेतन (ग) विशेष वेतन, यदि अनुमन्य है {आदेश के प्रस्तर –5 (1) (ग) के संदर्भ में} (घ) वैयक्तिक वेतन, यदि अनुमन्य है। (ङ०) मूल वेतन पर अनुमन्य महंगाई भत्ता।				
13	अगली वेतनवृद्धि की तिथि तथा वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने के उपरान्त वेतन				
	वेतन वृद्धि का दिनांक	**वेतनवृद्धि के उपरान्त वेतन (रू0)**			
		वेतन बैण्ड/ वेतनमान में देय वेतन	**ग्रेड वेतन (जो देय है)**	**वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन तथा देय ग्रेड वेतन का योग**	
14.	अन्य कोई विशिष्ट सूचना				

कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पद नाम

दिनांक :

संलग्नक : 3

PRE REVISED 3050-70-3950-80-4590		**REVISED PAY BAND 5200-20200**		
PRE-REVISED BASIC PAY		**REVISED PAY**		
		PAY IN THE PAY BAND	**GRADE PAY**	**TOTAL**
3050		5680	1900	7580
3125		5820	1900	7720
3200		5960	1900	7860
3275		6100	1900	8000
3350		6240	1900	8140
3425		6380	1900	8280
3500		6510	1900	8410
3575		6650	1900	8550
3650		6790	1900	8690
3725		6930	1900	8830
3800		7070	1900	8970
3875		7210	1900	9110
3950		7350	1900	9250
4030		7500	1900	9400
4110		7650	1900	9550
4190		7800	1900	9700
4270		7950	1900	9850
4350		8100	1900	10000
4430		8240	1900	10140
4510		8390	1900	10290
4590		8540	1900	10440
4670		8690	1900	10590
4750		8840	1900	10740
4830		8990	1900	10890

PRE REVISED 3200-85-4900	REVISED PAY BAND 5200-20200		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
3200	5960	2000	7960
3285	6120	2000	8120
3370	6270	2000	8270
3455	6430	2000	8430
3540	6590	2000	8590
3625	6750	2000	8750
3710	6910	2000	8910
3795	7060	2000	9060
3880	7220	2000	9220
3965	7380	2000	9380
4050	7540	2000	9540
4135	7700	2000	9700
4220	7850	2000	9850
4305	8010	2000	10010
4390	8170	2000	10170
4475	8330	2000	10330
4560	8490	2000	10490
4645	8640	2000	10640
4730	8800	2000	10800
4815	8960	2000	10960
4900	9120	2000	11120
4985	9280	2000	11280
5070	9440	2000	11440
5155	9590	2000	11590

PRE-REVISED 3500-85-5455	REVISED PAY BAND 5200-20200		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
3500	6510	2200	8710
3585	6670	2200	8870
3670	6830	2200	9030
3755	6990	2200	9190
3840	7150	2200	9350
3925	7310	2200	9510
4010	7460	2200	9660
4095	7620	2200	9820
4180	7780	2200	9980
4265	7940	2200	10140
4350	8100	2200	10300
4435	8250	2200	10450
4520	8410	2200	10610
4605	8570	2200	10770
4690	8730	2200	10930
4775	8890	2200	11090
4860	9040	2200	11240
4945	9200	2200	11400
5030	9360	2200	11560
5115	9520	2200	11720
5200	9680	2200	11880
5285	9840	2200	12040
5370	9990	2200	12190
5455	10150	2200	12350
5540	10310	2200	12510
5625	10470	2200	12670
5710	10630	2200	12830

PRE-REVISED 4200-100-6400	REVISED PAY BAND 5200-20200		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
4200	7820	2600	10420
4300	8000	2600	10600
4400	8190	2600	10790
4500	8370	2600	10970
4600	8560	2600	11160
4700	8750	2600	11350
4800	8930	2600	11530
4900	9120	2600	11720
5000	9300	2600	11900
5100	9490	2600	12090
5200	9680	2600	12280
5300	9860	2600	12460
5400	10050	2600	12650
5500	10230	2600	12830
5600	10420	2600	13020
5700	10610	2600	13210
5800	10790	2600	13390
5900	10980	2600	13580
6000	11160	2600	13760
6100	11350	2600	13950
6200	11540	2600	14140
6300	11720	2600	14320
6400	11910	2600	14510
6500	12090	2600	14690
6600	12280	2600	14880
6700	12470	2600	15070

PRE-REVISED 4500-125-7500	REVISED PAY BAND 5200-20200		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
4500	8370	3000	11370
4625	8610	3000	11610
4750	8840	3000	11840
4875	9070	3000	12070
5000	9300	3000	12300
5125	9540	3000	12540
5250	9770	3000	12770
5375	10000	3000	13000
5500	10230	3000	13230
5625	10470	3000	13470
5750	10700	3000	13700
5875	10930	3000	13930
6000	11160	3000	14160
6125	11400	3000	14400
6250	11630	3000	14630
6375	11860	3000	14860
6500	12090	3000	15090
6625	12330	3000	15330
6750	12560	3000	15560
6875	12790	3000	15790
7000	13020	3000	16020
7125	13260	3000	16260
7250	13490	3000	16490
7375	13720	3000	16720
7500	13950	3000	16950
7625	14190	3000	17190
7750	14420	3000	17420
7875	14650	3000	17650

PRE-REVISED 5300-150-8600	REVISED PAY BAND 9300-34800		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
5300	9860	4200	14060
5450	10140	4200	14340
5600	10420	4200	14620
5750	10700	4200	14900
5900	10980	4200	15180
6050	11260	4200	15460
6200	11540	4200	15740
6350	11820	4200	16020
6500	12090	4200	16290
6650	12370	4200	16570
6800	12650	4200	16850
6950	12930	4200	17130
7100	13210	4200	17410
7250	13490	4200	17690
7400	13770	4200	17970
7550	14050	4200	18250
7700	14330	4200	18530
7850	14610	4200	18810
8000	14880	4200	19080
8150	15160	4200	19360
8300	15440	4200	19640
8450	15720	4200	19920
8600	16000	4200	20200
8750	16280	4200	20480
8900	16560	4200	20760
9050	16840	4200	21040

PRE-REVISED 5300-150-5600-175-9100	REVISED PAY BAND 9300-34800		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
5300	9860	4200	14060
5450	10140	4200	14340
5600	10420	4200	14620
5775	10750	4200	14950
5950	11070	4200	15270
6125	11400	4200	15600
6300	11720	4200	15920
6475	12050	4200	16250
6650	12370	4200	16570
6825	12700	4200	16900
7000	13020	4200	17220
7175	13350	4200	17550
7350	13680	4200	17880
7525	14000	4200	18200
7700	14330	4200	18530
7875	14650	4200	18850
8050	14980	4200	19180
8225	15300	4200	19500
8400	15630	4200	19830
8575	15950	4200	20150
8750	16280	4200	20480
8925	16610	4200	20810
9100	16930	4200	21130
9275	17260	4200	21460
9450	17580	4200	21780
9625	17910	4200	22110

PRE-REVISED 5850-175-9200-200-9400	REVISED PAY BAND 9300-34800		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
5850	10890	4200	15090
6025	11210	4200	15410
6200	11540	4200	15740
6375	11860	4200	16060
6550	12190	4200	16390
6725	12510	4200	16710
6900	12840	4200	17040
7075	13160	4200	17360
7250	13490	4200	17690
7425	13820	4200	18020
7600	14140	4200	18340
7775	14470	4200	18670
7950	14790	4200	18990
8125	15120	4200	19320
8300	15440	4200	19640
8475	15770	4200	19970
8650	16090	4200	20290
8825	16420	4200	20620
9000	16740	4200	20940
9200	17120	4200	21320
9400	17490	4200	21690
9600	17860	4200	22060
9800	18230	4200	22430
10000	18600	4200	22800

PRE-REVISED 6000-200-10400	REVISED PAY BAND 9300-34800		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
6000	11160	4200	15360
6200	11540	4200	15740
6400	11910	4200	16110
6600	12280	4200	16480
6800	12650	4200	16850
7000	13020	4200	17220
7200	13400	4200	17600
7400	13770	4200	17970
7600	14140	4200	18340
7800	14510	4200	18710
8000	14880	4200	19080
8200	15260	4200	19460
8400	15630	4200	19830
8600	16000	4200	20200
8800	16370	4200	20570
9000	16740	4200	20940
9200	17120	4200	21320
9400	17490	4200	21690
9600	17860	4200	22060
9800	18230	4200	22430
10000	18600	4200	22800
10200	18980	4200	23180
10400	19350	4200	23550
10600	19720	4200	23920
10800	20090	4200	24290
11000	20460	4200	24660

PRE-REVISED 6500-200-10500-250-11000	REVISED PAY BAND 9300-34800		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
6500	12090	4400	16490
6700	12470	4400	16870
6900	12840	4400	17240
7100	13210	4400	17610
7300	13580	4400	17980
7500	13950	4400	18350
7700	14330	4400	18730
7900	14700	4400	19100
8100	15070	4400	19470
8300	15440	4400	19840
8500	15810	4400	20210
8700	16190	4400	20590
8900	16560	4400	20960
9100	16930	4400	21330
9300	17300	4400	21700
9500	17670	4400	22070
9700	18050	4400	22450
9900	18420	4400	22820
10100	18790	4400	23190
10300	19160	4400	23560
10500	19530	4400	23930
10750	20000	4400	24400
11000	20460	4400	24860
11250	20930	4400	25330
11500	21390	4400	25790
11750	21860	4400	26260

PRE-REVISED 8550-275-13500	REVISED PAY BAND 15600-39100		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
8550	15910	5400	21310
8825	16420	5400	21820
9100	16930	5400	22330
9375	17440	5400	22840
9650	17950	5400	23350
9925	18470	5400	23870
10200	18980	5400	24380
10475	19490	5400	24890
10750	20000	5400	25400
11025	20510	5400	25910
11300	21020	5400	26420
11575	21530	5400	26930
11850	22050	5400	27450
12125	22560	5400	27960
12400	23070	5400	28470
12675	23580	5400	28980
12950	24090	5400	29490
13225	24600	5400	30000
13500	25110	5400	30510
13775	25630	5400	31030
14050	26140	5400	31540
14325	26650	5400	32050

PRE-REVISED 10650-325-15200	REVISED PAY BAND 15600-39100		
PRE-REVISED BASIC PAY	REVISED PAY		
	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
10650	19810	6600	26410
10975	20420	6600	27020
11300	21020	6600	27620
11625	21630	6600	28230
11950	22230	6600	28830
12275	22840	6600	29440
12600	23440	6600	30040
12925	24050	6600	30650
13250	24650	6600	31250
13575	25250	6600	31850
13900	25860	6600	32460
14225	26460	6600	33060
14550	27070	6600	33670
14875	27670	6600	34270
15200	28280	6600	34880
15525	28880	6600	35480
15850	29490	6600	36090
16175	30090	6600	36690

PRE - REVISED 14300-400-18300	REVISED PAY BAND 37400-67000		
PRE - REVISED BASIC PAY	REVISED PAY PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
14,300	37,400	8,700	46,100
14,700	37,400	8,700	46,100
15,100	38,530	8,700	47,230
15,500	38,530	8,700	47,230
15,900	39,690	8,700	48,390
16,300	39,690	8,700	48,390
16,700	40,890	8,700	49,590
17,100	40,890	8,700	49,590
17,500	42,120	8,700	50,820
17,900	42,120	8,700	50,820
18,300	43,390	8,700	52,090
18,700	43,390	8,700	52,090
19,100	44,700	8,700	53,400
19,500	44,700	8,700	53,400

PRE - REVISED 16400-450-20000		REVISED PAY BAND 37400-67000				
		REVISED PAY				
PRE - REVISED BASIC PAY		PAY IN THE PAY BAND		GRADE PAY		TOTAL
16,400		39,690		8,900		48,590
16,850		40,890		8,900		49,790
17,300		40,890		8,900		49,790
17,750		42,120		8,900		51,020
18,200		42,120		8,900		51,020
18,650		43,390		8,900		52,290
19,100		43,390		8,900		52,290
19,550		44,700		8,900		53,600
20,000		44,700		8,900		53,600
20,450		46,050		8,900		54,950
20,900		46,050		8,900		54,950
21,350		47,440		8,900		56,340

PRE-REVISED 18400-500-22400	REVISED PAY BAND 37400-67000		
	REVISED PAY		
PRE - REVISED BASIC PAY	PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
18,400	44,700	10,000	54,700
18,900	46,050	10,000	56,050
19,400	46,050	10,000	56,050
19,900	47,440	10,000	57,440
20,400	47,440	10,000	57,440
20,900	48,870	10,000	58,870
21,400	48,870	10,000	58,870
21,900	50,340	10,000	60,340
22,400	51,850	10,000	61,850
22,900	53,410	10,000	63,410
23,400	55,020	10,000	65,020
23,900	56,680	10,000	66,680

PRE-REVISED 21350-525-23975	REVISED PAY BAND 37400-67000		
PRE - REVISED BASIC PAY	REVISED PAY PAY IN THE PAY BAND	GRADE PAY	TOTAL
21,350	48,870	11,000	59,870
21,875	50,340	11,000	61,340
22,400	51,850	11,000	62,850
22,925	53,410	11,000	64,410
23,450	55,020	11,000	66,020
23,975	56,680	11,000	67,680
24,500	58,380	11,000	69,380
25,025	60,140	11,000	71,140
25,550	61,950	11,000	72,950

संलग्नक-4

सहमति - पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, कारपोरेशन द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

स्थान :

पदनाम :

संलग्नक : 5

उदाहरण –1

समूह "घ" कर्मचारियों का प्रारम्भिक निर्धारण

1.	वर्तमान वेतनमान	3050–75–3950–80–4590
2.	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	5200–20200
3.	01 जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन	3350/–
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	6231/– रूपए (6240 रूपए में पूर्णांकित)
5.	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन	6240/–
6.	बन्चिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	6240/–
7.	वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन	1900/–
8.	पुनरीक्षित मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	8140/–

उदाहरण –2

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण।

1.	वर्तमान वेतनमान	4200–100–6400
2.	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	5200–20200
3.	01 जनवरी, 2006 को वर्तमान मूल वेतन	4200/–
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	7812/– रूपए (7820/– रूपए में पूर्णांकित)
5.	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन	7820/–
5. अ –	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में अनुमन्य प्रारम्भिक वेतन	8000/–
6.	बन्चिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	8000/–
7.	वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन	2600/–
8.	पुनरीक्षित मूल वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़)	10600/–

उदाहरण –3

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1. वेतन बैण्ड–03 में पुनरीक्षित वेतन	17950/–
2. ग्रेड वेतन	5400/–
3. वेतन + ग्रेड वेतन का योग	23350/–
4. वेतन वृद्धि की दर	उपर्युक्त बिन्दु–3 का तीन प्रतिशत
5. वेतन वृद्धि की राशि	710/–
6. वेतन वृद्धि के बाद वेतन बैण्ड में वेतन	17950 + 710
7. वेतन वृद्धि के बाद वेतन	18660/–
8. लागू ग्रेड वेतन	5400/–